



2026:AHC:4790

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2563, वर्ष 2025

राजीव सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सौरभ कुमार पांडे

प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : अनूप कुमार दुबे, सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एन. मिश्रा, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला, प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार दुबे को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों—विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 3, सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़—को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे ग्राम-बहलोलपुर, परगना देवगांव, तहसील-लालगंज, जिला आजमगढ़ के राजस्व अभिलेखों में 'बंजर' के रूप में दर्ज भूखंड संख्या 501 (क्षेत्रफल 0.281 हेक्टेयर) पर निजी प्रतिवादी द्वारा किए गए अवैध निर्माण/अतिक्रमण को, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक तर्कसंगत और निश्चित समयावधि के भीतर हटा दें।"

II. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों—विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2, तहसीलदार, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़—को यह आदेश/निर्देश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिया जाए कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत आने वाले वाद संख्या **2003/2023** (कम्प्यूटराइज्ड वाद संख्या **T202315060402003**) (राज्य बनाम महेंद्र) का निस्तारण, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक तर्कसंगत एवं निश्चित समयावधि के भीतर करें।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि इस जनहित याचिका को दायर किए जाने के बाद, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत चल रही कार्यवाही का निस्तारण तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.9.2025 के आदेश के माध्यम से कर दिया गया है।
4. श्री एम.एन. मिश्रा, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने, तहसीलदार द्वारा यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित दिनांक 11.9.2025 का वह आदेश भी प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा निजी प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।
5. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है, और यह माना गया है कि निजी प्रतिवादी संख्या 4 विचाराधीन भूखंड पर अवैध कब्जे में नहीं है, अतः इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
6. तदनुसार, जनहित याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

8 जनवरी 2026

सी. प्रकाश